सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2022-2023

वित्त एवं विनियोग विधेयक
चर्चा पर
श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
की घोषणाऐं

21 मार्च, 2022

घोषणाएं :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

1. बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर मेडिकल कॉलेजों में एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की सुविधाओं को और अधिक बेहतर करने की दृष्टि से Cath Labs स्थापित की जायेंगी।

2. शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों और अल्प आय वर्ग के मोहल्लों में आमजन को अपने घर के नजदीक त्वरित एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुलभ कराने के उद्देश्य से हमने 100 जनता/मोहल्ला क्लीनिक PPP Mode पर बनाने की शुरूआत की थी। अभी तक 13 मोहल्ला क्लीनिक ही स्थापित हो सके हैं। PPP अथवा भामाशाहों के सहयोग से मोहल्ला क्लीनिक बनने की धीमी रफ्तार के चलते अब हमने सरकारी धनराशि से इन्हें शुरू करने का निर्णय लेते हुए 135 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस कड़ी में आगामी वर्ष, 100 अतिरिक्त मोहल्ला क्लीनिक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इन पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा। मैं माननीय विधायकगण से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मोहल्ला क्लीनिक की स्थापना में होने वाले 90 लाख रुपये के एकबारीय खर्च में से 50 प्रतिशत राशि विधायक कोष से उपलब्ध करवाने पर उनके द्वारा चयनित स्थान पर प्राथमिकता से मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किया जायेगा।

3. कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के कोने–कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग (SFC) की राशि से Covid Health Assistants एवं Covid Health Consultants लगाये गये थे। आगामी वर्ष से इस कार्य हेतु SFC से राशि नहीं ली जायेगी तथा इन कोविड

कर्मियों के द्वारा किये कार्य को देखते हुए Medical Health Volunteer Force का गठन किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

4. प्रदेश में नेत्र संग्रहण एवं नेत्र प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालय में नेत्र विशेषज्ञों को केरेटोप्लास्टी का प्रशिक्षण दिये जाने के साथ–साथ आगामी वर्ष में 5 हजार कोर्निया कलेक्शन का कार्य किया जायेगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

5. प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से–

I. गुन्दली (किशनगढ़)–अजमेर, फागणियां, गेणियां (गंगरार)–चित्तौड़गढ़, डाहर (चाकसू)–जयपुर व खुमानपुरा (खमनोर)–राजसमंद में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

II. उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाना व नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं–

उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–

भादला, साधाखर, आडसर (नोखा), नगरासर (बज्जू)–**बीकानेर**; हरपालिया (चौहटन)–**बाड़मेर**; भटवाड़ा (मांगरोल)–**बारां;** बड़ी सरवा (कुशलगढ़)–**बांसवाड़ा;** बरखेड़ा (वैर), न्योठा (नदबई)–**भरतपुर;** हुड़ला, हिंगोटा (महवा), काली पहाड़ी, बनियाना, लाहड़ी का बास–**दौसा;** मंडोर (फागी), निमेना, बैसावा (जोबनेर), काशीपुरा, लालगढ़ (बस्सी), गोविंदपुरा धाबाई (विराटनगर)

–जयपुर; सिलासन (रानीवाड़ा)–**जालोर;** मंडला कलां (लोहावट), पाल (लूणी), दईजर (मण्डोर)–**जोधपुर;** भामरवासी (चिड़ावा), लालपुर–**झुंझुनूं;** खुईयाला (सम), खींया–**जैसलमेर;** निनाण (भादरा)–**हनुमानगढ़;** गोविन्दी (नावां), भींचावा (मकराना), दधिमती (जायल)–**नागौर;** कोशीवाड़ा (खमनोर)– **राजसमंद;** काछवा (नेछवा), बठोठ (लक्ष्मणगढ़), रामपुरा, कांसरडा, कोटडी धायलान (खंडेला)–**सीकर** व चकेरी, खिलचीपुर–**सवाई माधोपुर**।

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–

ककराली, पूनखर–**अलवर;** सत्तासर (खाजूवाला), अमरपुरा, तलाई (पूगल), गोसाईसर (डूंगरगढ़)–**बीकानेर;** कनाना (पचपदरा), बीजराड (शिव)–**बाड़मेर;** सजनाबाद (आसींद), बरडोद (सहाड़ा)–**भीलवाड़ा;** बंजारी (छबड़ा)–**बारां;** घाटका बराना–**बूंदी;** सिमसिया (रतनगढ़), बायला, आसपालसर (सरदारशहर)–**चूरू;** बसई, भालोजी (कोटपूतली), पीपला (माधोराजपुरा), जाटावाली (चौमूं)–**जयपुर;** पालासनी (बिलाड़ा)–**जोधपुर;** शीलगांव, करणू (खींवसर)–**नागौर;** गोठरा, डाबरा, चंदेलीपुरा (सपोटरा), गुनेसरा, खेड़िया–**करौली;** दरियाटी, सरथुना (चौरासी)–**डूंगरपुर;** कोट सोलंकियान (देसूरी)–**पाली;** डूमरा, कसेरू (नवलगढ़)–**झुंझुनूं;** बिहार (नीमकाथाना)–**सीकर;** पीपलवाड़ा, पीलू खेड़ा (बामनवास)– **सवाई माधोपुर;** देवली (उनियारा), सिरोही (निवाई)–**टोंक** व ढिकवास (खैरवाड़ा), अग्गड़ (लसाड़िया) –**उदयपुर**।

III. **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत** किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं–

जखराना (बहरोड़)–**अलवर;** रेलावन (किशनगंज)–**बारां;** नमाना–**बूंदी;** पथैना (वैर)–**भरतपुर;** जोधियासी (जायल)– **नागौर;** दाउदसर (रतनगढ़)–**चूरू;** गढ़ (सिकराय), छारेड़ा– **दौसा;** रामगढ़ (आसपुर)–**डूंगरपुर;** ताला (जमवारामगढ़), साखून (दूदू)–**जयपुर;** झाझड़ (नवलगढ़)–**झुंझुनूं;** सूरवाल– **सवाई माधोपुर;** टोड़ा (श्रीमाधोपुर), बीबीपुर (फतेहपुर)–**सीकर** व चांवड (सलूम्बर) – **उदयपुर**।

IV. भट्टा बस्ती–जयपुर में डिस्पेंसरी खोली जायेगी।

V. राजाखेड़ा–धौलपुर, श्रीकोलायत–बीकानेर, मांडल–भीलवाड़ा व नावां–नागौर में उप जिला चिकित्सालय खोले जायेंगे।

VI. लालसोट–दौसा, भीम–राजसमंद, सीकर व खण्डेला–सीकर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र शुरू किए जायेंगे।

VII. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर–जयपुर को सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VIII. गंगरार–चित्तौड़गढ़ में ट्रोमा सेंटर खोला जायेगा।

IX. ताऊसर–नागौर में आयुर्वेद औषधालय खोला जायेगा।

X. सदरी (लोहावट)–जोधपुर में होम्योपैथी औषधालय शुरू जायेगा।

6. हाल ही में रूस एवं यूक्रेन के मध्य चल रही समस्या के कारण प्रदेश के भी कई छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर यूक्रेन से वापस राजस्थान आना पड़ा। भविष्य में प्रदेश के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई प्रदेश

में ही करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने व वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के विस्तार हेतु प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति लाया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

7. प्रदेश में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमारे द्वारा 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान सतत् रूप से चलाने के दृष्टिगत Directorate of Food Safety स्थापित किया गया है। इसी प्रकार, आमजन को उचित रूप से दवाइयां प्राप्त हो सकें, यह और अधिक संवेदनशील बिन्दु है। अतः हम इसे भी सतत् रूप से चलने वाले अभियान में जोड़ेंगे। इस कारण अब मैं, Food Safety निदेशालय एवं Drug Control संगठन का आमेलन करते हुए और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त करते हुए **Food Safety and Drug Control Commissionerate** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

8. प्राकृतिक, योग एवं आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अनुभवी सामाजिक संस्था के माध्यम से जिला स्तर की Society के तत्वाधान में Pilot Basis पर नाथद्वारा–राजसमंद में **Medi-Tourism Wellness Centre** संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

9. मेरे पिछले कार्यकाल के वर्ष 2010 में पीबीएम अस्पताल–बीकानेर में भामाशाह के सहयोग से हल्दीराम मूलचन्द Cardiovascular Sciences Centre बनाया गया था। अब मैं इसको जनसहयोग के माध्यम से **Cardiovascular Centre of Excellence** के रूप में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा करता हूँ।

10. मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में 6 स्नातक (यू.जी.) विभागों को स्नातकोत्तर (पी.जी.) विभागों में क्रमोन्नत करते हुए 50 बेड क्षमता की वृद्धि की जायेगी।

शिक्षा :

11. मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय स्कूल शिक्षा के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विद्यालयों के क्रमोन्नयन सम्बन्धी घोषणायें की गई थीं। इस क्रम में माननीय सदस्यगण से विद्यालयों में नए विषय खोलने तथा प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सीनियर सैकेण्डरी क्रमोन्नयन के प्रस्ताव अत्यधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र में इस सम्बन्ध में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 250 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, 500 राजकीय विद्यालयों में नए विषय/संकाय प्रारंभ करना भी प्रस्तावित करता हूँ।

12. Right to Education Act (RTE) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की 12वीं तक पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसके लिए इन्दिरा महिला शक्ति निधि से उनकी फीस का पुनर्भरण किये जाने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रतिवर्ष 18 हजार से अधिक बालिकायें लाभान्वित होंगी। इस हेतु 18 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रावधान किया जायेगा।

13. ऐसी किशोरियां व महिलायें जो पारिवारिक एवं अन्य कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती हैं, उन्हें Distance Education के माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए **'बालिका**

दूरस्थ शिक्षा योजना' लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत UG, PG, Diploma, Certificate Courses आदि हेतु देय शुल्क का पुनर्भरण किया जायेगा। इस पर 15 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

14. प्रदेश के 254 विद्यालय, जिनमें व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा) के पद स्वीकृत है, उनमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ किया जायेगा।

15. आज के परिदृश्य में Digital Learning का महत्व बढ़ गया है। अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके, इस दृष्टि से विभिन्न विभागों के अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए e-library एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

16. प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु–

I. **राजकीय महाविद्यालय** खोले जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–
बिजयनगर, रूपनगढ़–**अजमेर;** नीमराना–**अलवर;** आनन्दपुरी –**बांसवाड़ा;** नाहरगढ़ (किशनगंज)–**बारां;** सिद्धमुख (सादुलपुर) –**चूरू;** पाल देवल–**डूंगरपुर;** आंधी (जमवारामगढ़), किशनगढ़ रेनवाल–**जयपुर;** टिब्बी, रावतसर–**हनुमानगढ़;** बुहाना–**झुंझुनूं,** रेवतड़ा–**जालोर** व कुराबड (वल्लभनगर) –**उदयपुर**।

II. **कन्या महाविद्यालय** खोले जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–
बड़ौदा मेव–**अलवर;** सिवाना–**बाड़मेर;** केलवाड़ा (किशनगंज), छबड़ा–**बारां;** माण्डल–**भीलवाड़ा;** झालाटाला (वैर), डीग– **भरतपुर;** बस्सी–**चित्तौड़गढ़;** मरैना (राजाखेड़ा)–**धौलपुर;**

गंगापोल–**जयपुर;** लोहावट–**जोधपुर;** पांचला सिद्धा (खींवसर)–**नागौर;** अलसीसर (मंडावा), मंड्रेला–**झुंझुनूं;** कटकड़–**करौली;** शिवगंज–**सिरोही;** मित्रपुरा (बामनवास) –**सवाई माधोपुर** व निवाई–**टोंक**।

III. जमवारामगढ़–जयपुर, राजगढ़–अलवर में नवीन विषय; बाली–पाली, फागी, विराटनगर–जयपुर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय व नावां–नागौर, होद (खण्डेला)–सीकर में विज्ञान संकाय सहित 50 महाविद्यालयों में नवीन संकाय एवं विषय प्रारंभ किये जायेंगे।

IV. विराटनगर–जयपुर, पोकरण–जैसलमेर व सराडा (सलूम्बर) –उदयपुर सहित 25 महाविद्यालयों को पीजी में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. संस्कृत महाविद्यालय, कोटकासिम–अलवर को नियमित राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा।

17. सिकन्दरा (सिकराय), बांदीकुई–दौसा, पीपलू (निवाई)–टोंक एवं मलारना डूंगर–सवाई माधोपुर में देवनारायण बालिका छात्रावास, फलौदी–जोधपुर में अल्पसंख्यक छात्रावास, दौसा व नगर–भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, लोहावट–जोधपुर, सरमथुरा–धौलपुर में अनुसूचित जाति छात्रावास तथा छबड़ा–बारां, दरियाटी (चौरासी)–डूंगरपुर में जनजाति बालक छात्रावास खोले जायेंगे। साथ ही, करेड़ा (माण्डल)–भीलवाड़ा, छबड़ा–बारां, गुढ़ा पोंख (उदयपुरवाटी)–झुंझुनूं, नोहर–हनुमानगढ़ में सावित्री बाई फूले छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे।

18. हिण्डोली–बूंदी, हमीरगढ़–भीलवाड़ा, सावा–चित्तौड़गढ़, टोडाभीम– करौली, निवाई–टोंक व सराडा (सलूम्बर)–उदयपुर में आईटीआई केन्द्र खोले जायेंगे।

19. गांधीनगर एवं सांगानेर–जयपुर स्थित महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में आगामी वर्ष से Non-Engineering स्नातक पाठ्यक्रम यथा Fine Arts, Visual Arts, Textile Designing एवं Fashion Designing प्रारंभ किये जायेंगे।

20. आज के परिवेश को देखते हुए बालिकाओं का मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त होना अति आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकारी स्कूलों में छात्राओं को Self Defence व जागरूकता हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 30 हजार बालिकाओं को Training दी गयी है। आगामी वर्ष **रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान** के तहत 2 लाख बालिकाओं को Self Defence का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

21. वर्ष 2021–22 के बजट में महात्मा गांधी के सिद्धान्त, आदर्श और दर्शन की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए **'शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय'** स्थापित किए जाने की घोषणा की गयी थी। इस निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षण आदि पर 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

22. साथ ही, प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से–

I. खादी क्षेत्र के कामगारों यथा–कत्तिनों, बुनकरों एवं कार्यकर्ताओं को पर्याप्त पारिश्रमिक दिलाये जाने के उद्देश्य से **खादी कामगार**

आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी। इसके अंतर्गत लगभग 20 हजार खादी कामगार लाभांवित होंगे। इस हेतु आगामी वर्ष 18 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. कोटा, जोधपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कत्तिन व बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए Training Centres शुरू किये जायेंगे।

युवा, खेल एवं रोजगार :

23. प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में **महिला कॉपरेटिव बैंक – राजस्थान महिला निधि** की स्थापना राजीविका के माध्यम से करने की घोषणा करता हूँ। इस महिला बैंक के माध्यम से सदस्यों को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हो सकेगा। प्रारंभिक रूप से इस महिला बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन को गति देने की दृष्टि से प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह का समस्त कार्य राजीविका के माध्यम से ही कराया जाना प्रस्तावित है।

24. आदिवासी बाहुल्य एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं औद्योगिक विकास के क्रम में औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने हेतु RIPS-2022 के अंतर्गत विशेष पैकेज का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

25. प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए गत बजट में मेरे द्वारा ग्रामीण ओलम्पिक्स कराने की घोषणा की गई थी।

कोरोना के कारण इस वर्ष ये खेल नहीं करवाये जा सके। अब आगामी वर्ष ग्रामीण ओलम्पिक्स का आयोजन करने के साथ–साथ राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कराया जाना भी प्रस्तावित है। इस हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

26. साथ ही, ग्रामीण ओलम्पिक्स में जिला एवं राज्य स्तर के विजेताओं को पंचायत Contractual Cadre के रिक्त पदों की भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।

27. खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ओलम्पिक, एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों/पैरा खिलाड़ियों/कोच के लिए आगामी वर्ष से **Sports Person Pension योजना** लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 20 हजार रुपये की पेंशन उपलब्ध करवायी जायेगी।

28. राज्य में खेल सुविधायें विकसित करने एवं शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से–

I. माउंट आबू–सिरोही में साहसिक (Adventure) खेलों के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से Adventure Sports Training and Mountaineering Centre स्थापित किया जायेगा।

II. प्रत्येक जिला स्टेडियम में Open Gym स्थापित किए जायेंगे। साथ ही, सवाई मानसिंह स्टेडियम–जयपुर व बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम–जोधपुर सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर

State of the Art Gym & Fitness Centres स्थापित किए जायेंगे। इस पर लगभग 35 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

III. उमरैण–अलवर में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, कुचामन–नागौर व बूंदी के खेल स्टेडियम में विकास कार्य करवाये जायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा :

29. मेरे द्वारा वर्ष 2021–22 के बजट में प्रदेश के विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय के उत्थान के लिए Denotified Tribes (DNT) Policy लायी जाने की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में गाडोलिया, बन्जारा, कालबेलिया, भोपा नायक, गाड़िया लुहार, पारदी, भेड़कुट, रैबारी, मोगिया, सिकलीगर, सीगडीवाल, रंगास्वामी (शनि महाराज के भक्त), नाथ, भाण्ड, राणा, बाजीगर, गुजराती, बागरिया, सांसी, कंजर, जंगलिया इत्यादि समुदाय के उत्थान एवं पुनर्वास हेतु इन्हें नवजीवन योजना में सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है एवं इनकी बस्तियों में शिक्षा के प्रसार पर विशेष कार्य किया जायेगा।

30. भवन निर्माण की लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए गाड़िया लोहारों के लिए संचालित महाराणा प्रताप आवास अनुदान योजना में दी जाने वाली राशि को **70 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रुपये** किए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु कच्चा माल क्रय अनुदान योजना में **5 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 10 हजार** रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

31. राज्य में SC, ST, OBC, MBC व EBC के कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर DBT वाउचर योजना लागू की गयी थी। अब इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी शामिल किया जायेगा।

32. ऐसे विशेष योग्यजन, जिन्हें अपने दैनिक कार्य करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें पेंशन राशि के अतिरिक्त **1 हजार रुपये की मासिक आर्थिक सहायता** दिए जाने की घोषणा करता हूँ।

33. प्रदेश के ऐसे NFSA परिवार, जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा निःशक्त हैं तथा इस कारण से स्वयं राशन लेकर आने में असमर्थ हैं, उनको बिना किसी बाधा के राशन की **निःशुल्क door step delivery** के लिए योजना लागू की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। साथ ही, प्रदेश के कोने–कोने में NFSA परिवारों को घर के निकट ही राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष **5 हजार नई राशन की दुकानें** खोलने की घोषणा करता हूँ।

34. राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से आगामी वर्ष से सप्ताह में 2 दिवस Powder Milk का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध करवाया जायेगा। इस हेतु लगभग **500 करोड़ रुपये** का व्यय होगा।

35. राज्य में बिजली की सुविधा से वंचित 43 हजार 60 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूर्ण विद्युतीकरण किये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 21 करोड़ 53 लाख रुपये एक मुश्त तथा मासिक विद्युत व्यय हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

36. **मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना** के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये की लागत से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कम्प्यूटराईजेशन, Furniture व अन्य सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण :

37. Wildlife Surveillance परियोजना के अंतर्गत वन्यजीव प्रजातियों की रक्षा व संरक्षण हेतु झालाना, सरिस्का, रणथम्भौर तथा मुकुन्दरा में व्यवस्था की गई है। इस सुरक्षा का विस्तार करते हुए संरक्षित क्षेत्रों (Conserved Areas) को भी सम्मिलित किया जायेगा। इस पर 30 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

38. सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को ईको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।

39. प्रदेश में सीवरेज एवं कचरे (Waste) की समस्या के समुचित निस्तारण के लिए–

I. कोटपूतली–जयपुर, नोखा–बीकानेर, केशोरायपाटन–बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा–बाड़मेर, डूंगरपुर, राजसमंद एवं भरतपुर में **1 हजार करोड़ रुपये** की लागत से सीवरेज व अन्य कार्य करवाये जायेंगे।

II. रावतभाटा–चित्तौड़गढ़, पीपाड़ सिटी (बिलाड़ा)–जोधपुर में सीवरेज व ड्रेनेज के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, श्रीडूंगरगढ़–बीकानेर में सीवरेज व ड्रेनेज के कार्य हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।

III. सपोटरा में पानी भराव की समस्या के निस्तारण के लिए नाले का निर्माण व अन्य कार्य करवाये जायेंगे।

IV. शहरों में गीले कचरे (Liquid Waste) को process कर बायोगैस /मिथेन का उत्पादन किया जायेगा। इस पर 125 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

V. समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से solid एवं liquid waste management सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे।

आधारभूत संरचना :

40. 17 जून, 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजनों को राहत प्रदान किए जाने की दृष्टि से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए की उपधारा 8 में संशोधन कर मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार कच्ची बस्ती के आवासियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से–

I. सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में कब्जों के नियमन की कटऑफ डेट 15.08.2009 से बढ़ाकर 31.12.2021 किए जाने की घोषणा करता हूँ।

II. पट्टे अहस्तान्तरणीय होने के पूर्ववर्ती प्रावधान में प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में यह प्रावधान किया गया है कि पट्टा जारी होने के 10 वर्ष बाद ऐसा पट्टा हस्तान्तरणीय हो सकेगा। इस 10 वर्ष की अवधि को 3 वर्ष किए जाने की घोषणा करता हूँ।

III. 110 वर्गगज से 200 वर्गगज तक में अतिरिक्त कब्जेशुदा भाग के क्षेत्र की आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर, जो भी कम हो, की 10

प्रतिशत की दर पर उक्त अतिरिक्त भाग का पट्टा दिए जाने की घोषणा करता हूँ।

साथ ही, अधिक से अधिक लोगों को इन राहतों का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से वर्तमान में चल रहे **'प्रशासन शहरों के संग'** अभियान की अवधि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 किया जाना भी प्रस्तावित है।

41. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग **1 हजार 260 करोड़ रुपये** की लागत से सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण एवं अन्य आधारभूत कार्य करवाये जाना प्रस्तावित हैं, ये कार्य हैं–

क्र.सं.	सड़क	लागत
1	डिगोर राज्य राजमार्ग–62 से गजानंद चौराहा तक सड़क (मारवाड़ जंक्शन)–पाली	11 करोड़ रुपये
2	कुचामन, हिराणी, भांवता, इंदौखा, कांकरिया, भूणी, मुआना, राजलिया, सुरेरा सड़क (नागौर)	40 करोड़ रुपये
3	धरियावद–सलूम्बर–बेड़ावल एमडीआर–12बी सड़क (प्रतापगढ़, उदयपुर)	14 करोड़ रुपये
4	करड़ रेनवाल सड़क से दातारामगढ़ वाया मुण्डली, सेप्टों की ढाणी, मीणों की ढाणी सड़क का निर्माण–सीकर	1 करोड़ 94 लाख रुपये
5	बरसलपुर ब्रांच के समानान्तर सड़क (48 किलोमीटर)–बीकानेर	24 करोड़ रुपये
6	देहली गेट चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण–उदयपुर	30 करोड़ रुपये
7	स्टेट हाईवे पुनरूद्धार एवं मरम्मत– रामगढ़ से गोविन्दगढ़ हाईवे (रामगढ़) – अलवर	9 करोड़ रुपये
8	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27 पाट–आमझरिया तक सड़क (चित्तौड़गढ़)	3 करोड़ 23 लाख रुपये
9	केसुन्दा से भाटखेड़ा सड़क–चित्तौड़गढ़	13 करोड़ रुपये
10	बिजवामाता मेन रोड रघुबावसी से बोडका तक सड़क (आसपुर)–डूंगरपुर	5 करोड़ रुपये
11	देवदा से नारणावास सड़क (आहौर)–जालोर	2 करोड़ 40 लाख रुपये

12	देवता–छारदड़ा–बखराना–चिमनपुरा–निहालपुरा–बड़िवा वाली ढाणी (एमडीआर) तक सड़क (कोटपूतली)–जयपुर	8 करोड़ रुपये
13	बालासिन्दुर से पाडला (शक्करवाडा एवं चनावला) पुलिया निर्माण (कुशलगढ़) –बांसवाड़ा	8 करोड़ 50 लाख रुपये
14	डूंगरपुर से देवसोमनाथ (शिवजी मन्दिर) तक सडक (डूंगरपुर)	15 करोड़ रुपये
15	खिरणी (हरसोता) एमडीआर 233 से काकरिया जिला बॉर्डर सवाई माधोपुर वाया मामडोली–झनून–पीलूखेड़ा–कांकरिया तक सडक (29 किमी.) (बामनवास) –सवाईमाधोपुर	33 करोड़ 25 लाख रुपये
16	बामनवास से दांतासूती जिला सीमा तक वाया बडीला ठिकरिया तक सडक (18.75 किमी.) (बामनवास) –सवाईमाधोपुर	22 करोड़ रुपये
17	डहरा से नदबई फोर लेन सड़क मार्ग (9 किमी.) (नदबई) –भरतपुर	20 करोड़ रुपये
18	बाखासर रोड़ से सरूपें का तला तक सड़क (चौहटन) –बाड़मेर	16 करोड़ 50 लाख रुपये
19	बालूखाल से अमलावदा अली वाया मौखमपुरा एमडीआर 267 तक सडक (7.50 किमी.) (अन्ता) –बारां	24 करोड़ रुपये
20	कुलथाना से जाजली– भावगढ़– चुपना– कोटड़ी–जीरावता– भचुण्डला– सेवना –सालमगढ़ तक सड़क (50 किमी.) –प्रतापगढ़	50 करोड़ रुपये
21	बीबासर से बाबा गुलाबगिरी स्थल तक सड़क–झुन्झुनूं	2 करोड़ 60 लाख रुपये
22	रामगढ़ पारडाथुर खलील तक सड़क – डूंगरपुर	4 करोड़ 50 लाख रुपये
23	कनोडिया से बोसी तक सड़क (आसपुर) – डूंगरपुर	2 करोड़ रुपये
24	हनुमान परोलिया से सगडिया तक सड़क (3 किमी) (आसपुर)– डूंगरपुर	1 करोड़ 80 लाख रुपये
25	बलीचा सीमा से तेजात फला माडविया तक सड़क–डूंगरपुर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
26	एस.एच. 55 से रायपुर– महंगोर–चैनपुरा–दारोलाई–प्रतापगढ अलवर सीमा तक सड़क (23.50 किमी) (जमवारामगढ़) – जयपुर	15 करोड़ 50 लाख रुपये
27	नायला से राहोरी–पापड–जमवारामगढ–नरपतियावास–नांगल तुलसीदास–बासना तक सड़क (जमवारामगढ़) – जयपुर	25 करोड़ रुपये

28	स्टेट हाईवे 52 से पडाक छापली तक सड़क (थानागाजी) – अलवर	60 लाख रुपये
29	महंगी भावनी रोड से नटाटा–जैतपुर–चौकीवाला कालैड–टिगरिया–मोरडी का घाटा–जोगियों की ढ़ाणी–बामनवास चौगान तक सड़क (थानागाजी) – अलवर	15 करोड़ 20 लाख रुपये
30	कोंडर मोड से मासलपुर तक सड़क –करौली	48 करोड़ रुपये
31	तीन बड से वाया मेडिकल कॉलेज व ग्राम भीकमपुरा तक सड़क – करौली	22 करोड़ रुपये
32	सुखसिंह का बास से हमीरपुरा वाया चौपड़ा की ढाणी तक सड़क (4 किमी.) (खण्डेला) – सीकर	1 करोड़ 30 लाख रुपये
33	पिपलीवाली ढ़ाणी से सुन्दरदास बाबा वाया करोई केरपुरा तक सड़क (5 किमी.) (खण्डेला) – सीकर	2 करोड़ रुपये
34	लाखनी मोड़ से सोथलिया वाया पावंडा की ढ़ाणी तक सड़क (4 किमी.) (खण्डेला) – सीकर	2 करोड़ रुपये
35	गिरधारी सिंह का बास से ज्ञानपुरा तक सड़क (4 किमी.) (खण्डेला) – सीकर	1 करोड़ 30 लाख रुपये
36	फतेहपुरा से निमेड़ा–खदुन्दरा तक सड़क (8 किमी.) (खण्डेला) – सीकर	2 करोड़ 60 लाख रुपये
37	भगवानपुरा चौराहा–करेड़ा–निम्बाहेड़ा जाटान सड़क (भीलवाड़ा)	12 करोड़ 40 लाख रुपये
38	शिवनगर–भोजनगर, खिरोड–मीलों का बास–भगेरा–घोडीवारा से सांगासी मांडासी–नोजी की ढाणी श्यामपुरा–देवगढ़ नूआं, तोगडा–शिशिया–डाबडी बलोदा–देलसर, चेलासी से जेजूसर वाया जेलदार कुआं–कुमावास सड़क निर्माण (नवलगढ़)–झुंझुनूं	21 करोड़ रुपये
39	हंसास–भालोठ–चूड़िना सड़क निर्माण (सूरजगढ़)–झुंझुनूं	22 करोड़ रुपये
40	डाबिच से डीडावता सड़क (माधोराजपुरा)–जयपुर	1 करोड़ 30 लाख रुपये
41	कासिर से गोठियाना तक सड़क (किशनगढ़)–अजमेर	2 करोड़ 80 लाख रुपये
42	सुनगर से निमोठा सड़क (4 किलोमीटर) (केशोरायपाटन)–बूंदी	3 करोड़ 30 लाख रुपये

43	बलकासा से ओहडी (5 किलोमीटर) (केशोरायपाटन)–बूंदी	3 करोड़ 90 लाख रुपये
44	जालोर से बागरा 4 लेन डिवाइडर का निर्माण (18 किलोमीटर)–जालोर	53 करोड़ 22 लाख रुपये
45	सूरजपुरा चौराहा से कपासन तक 12 किलोमीटर सड़क का दोहरीकरण–चित्तौड़गढ़	10 करोड़ 80 लाख रुपये
46	जोगरास से पांसल (रायपुर सुवाणा)–भीलवाड़ा	42 करोड़ रुपये
47	बाबई से मोतीनगर सड़क मय पुलिया (केशोरायपाटन)–बूंदी	3 करोड़ 40 लाख रुपये
48	सरमथुरा से नादनपुर के मध्य पुल निर्माण (बसेड़ी)–धौलपुर	10 करोड़ रुपये
49	भादरा से आदमपुर सड़क–हनुमानगढ़	35 करोड़ रुपये
50	मलसीसर से टमकोर सड़क (मंडावा)–झुंझुनूं	16 करोड़ रुपये
51	नवलगढ़ से बीबासर 30 किलोमीटर सड़क (नवलगढ़)–झुंझुनूं	41 करोड़ 67 लाख रुपये
52	गुढ़ा चन्द्रजी से बिन्दौरी के बालाजी (टोडाभीम)–करौली	2 करोड़ 20 लाख रुपये
53	बागोली से ठिकरिया वाया गुहाला कोठरी एमडीआर–276 सड़क (खण्डेला)–सीकर	40 करोड़ 30 लाख रुपये
54	शहीद चूनाराम स्मारक–पचारों की ढाणी–बाबा बोगन पीर धाम अलखपुरा बोगन–लोठ स्मारक बठोठ तक सड़क–सीकर	10 करोड़ 24 लाख रुपये
55	अलखपुरा गोदारान–अंजनी माता मंदिर जुलियासर वाया दिनवा जाटान–धाननी–भगासरा पूर्व तक सड़क–सीकर	10 करोड़ 8 लाख रुपये
56	राज्य राजमार्ग–48 राणी छाणी 2 लेन सड़क निर्माण (खैरवाड़ा)–उदयपुर	41 करोड़ 14 लाख रुपये
57	देवीसागर–दांतीणा–अखासर (वाया कटारियों की ढाणी)–रोहिड़ा डेर–झाड़ेली–धोलियाडेर–तुरकीया नाडा (वाया डुडियों, रावों, जाखड़ों व कुन्दणों की ढाणी)–उन्ना नाड़ी तक सड़क का निर्माण–नागौर	20 करोड़ रुपये

58	इन्दावड–खाखड़की–गेमलियावास–समन्दोलाव–डुकिया–चून्दिया –चावण्डिया–जैसास–लाम्पोलाई सड़क तथा मिसिंग लिंक सड़क–नागौर	20 करोड़ रुपये
59	लाम्बिया से देवगढ़ (मांडल)–भीलवाड़ा	5 करोड़ 2 लाख रुपये
60	धनूरी से लूटू (मंडावा)–झुंझुनूं	10 करोड़ रुपये
61	मानवास से लॉज डोईवाली (नारायणपुर)–अलवर	3 करोड़ रुपये
62	खरखड़ी से ढाणी खटिकान से बुर्जा की आखिरी ढाणी (नारायणपुर)–अलवर	1 करोड़ 75 लाख रुपये
63	ठेकला की ढाणी से बाढ़ वाला की ढाणी तक होते हुए स्टेट हाईवे 52 तक (थानागाजी)–अलवर	1 करोड़ 40 लाख रुपये
64	नगला वीधौरा (बाड़ी) से बसेड़ी के मध्य नदी पर पुल–धौलपुर	25 करोड़ रुपये
65	बाड़ी–बसेड़ी मुख्य सड़क के नहर के किनारे होते हुए ग्राम कुहावनी से डबोकपुरा व हुसैनपुरा तक सड़क (बाड़ी)–धौलपुर	4 करोड़ 47 लाख रुपये
66	बास परसा से देवमड ढाणी मित्रपुरा सड़क वाया करो की ढाणी बैरवा बस्ती तक सड़क (बामनवास)–सवाई माधोपुर	6 करोड़ 50 लाख रुपये
67	डोकन से जीलो वाया भीतरों कालाकोटा सड़क (नीमकाथाना)–सीकर	5 करोड़ 2 लाख रुपये
68	ग्राम हाड़ी खुर्द से राय रामपुरा सड़क–टोंक	1 करोड़ 50 लाख रुपये
69	अलवर–बहरोड़ सड़क एसएच–14 से जागूवास (अलवर)	1 करोड़ 20 लाख रुपये
70	बरडोद से जलालपुर सड़क–अलवर	1 करोड़ रुपये
71	महाराजवास से कोहराना सड़क (बहरोड़)–अलवर	30 लाख रुपये
72	जैतपुरा से सिरसोखुर्द से मध्यप्रदेश सीमा तक (किशनगंज)–बारां	60 करोड़ रुपये
73	मंडरायल से करौली के सांकरा मोड़ से शिकारगंज तक सड़क (सपोटरा)–करौली	22 करोड़ रुपये
74	रामनगर के हाईवे से मंगाल तक सड़क–बूंदी	2 करोड़ 50 लाख रुपये

75	सूनगर से निमोठा तक सड़क–बूंदी	3 करोड़ 30 लाख रुपये
76	मांगता–शौभाला–उड़ासर–जैतमाल फांटा–सनावड़ा गुढ़ा (गुड़ामलानी)–बाड़मेर	14 करोड़ रुपये
77	सरणू–चिमनजी–निम्बलकोट–आडेल–धोलानाड़ा–नगर सड़क (गुड़ामलानी)–बाड़मेर	25 करोड़ रुपये
78	प्रतापगढ़ से वरमंडल–गरदोड़ा–कल्याणपुरा–मचलाना–बड़ोदिया –बागलिया मध्यप्रदेश सीमा तक (40 किमी.)–प्रतापगढ़	40 करोड़ रुपये
79	रोटेदा से मंडावरा तक सड़क चौड़ाईकरण (पीपल्दा)–कोटा	12 करोड़ रुपये
80	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–52 से मण्डा–खाटू (दातारामगढ़)–सीकर	11 करोड़ रुपये
81	हामुसर से सिकराली (सरदारशहर)–चूरू	1 करोड़ 30 लाख रुपये
82	बरजांगसर से गोलसर (सरदारशहर)–चूरू	2 करोड़ रुपये
83	सेहला से दाउदसर (रतनगढ़)–चूरू	1 करोड़ 24 लाख रुपये
84	तोलियासर से खुड़ी (रतनगढ़)–चूरू	1 करोड़ 50 लाख रुपये
85	गोपालगढ़ से कटीघाटी वाया पापड़दा चैनवाड़ा सड़क–भरतपुर	15 करोड़ रुपये
86	वाण–कैलाशनगर सड़क से बिलेश्वर महादेव तक सड़क निर्माण (2 किलोमीटर)–सिरोही	98 लाख रुपये
87	कोटपुरा–बिचोला, परसोदा, लालू का पुरा, लाठवावाली माता, राधेपुरा, श्रीपाल की गढ़ी, कसियापुरा, बाजना, जवाहर का पुरा, दगरा, बरसला, खोड, पक्कापुरा से शंकरपुरा (27 किलोमीटर) (राजाखेड़ा)–धौलपुर	11 करोड़ रुपये
88	विजयपुरा–बगराना–सुमेल में सड़कों के निर्माण (कुल 15 किलोमीटर) (बस्सी)–जयपुर	8 करोड़ रुपये
89	लाडनूं में बस स्टेण्ड से अस्पताल–जावा बास से गोपालपुरा तक सड़क–नागौर	3 करोड़ रुपये
90	बालेर से करणपुर तक सड़क(23 किलोमीटर) (सपोटरा)–करौली	23 करोड़ रुपये

91	गुमाना का बास से तारपुरा हवाई पट्टी सड़क कार्य (7 किलोमीटर) –सीकर	5 करोड़ रुपये

42. जयपुर में इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा–जयपुर से बस्सी तक की सड़क का 50 करोड़ रुपये लागत से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व उदयपुर में पुलां चौराहे से फतेहपुर चौराहे होते हुए सुखाड़िया सर्किल तक एलीवेटेड रोड का 120 करोड़ रुपये की लागत से यूआईटी द्वारा निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, बीकानेर शहर के कोट गेट एवं सांखला गेट फाटक की समस्या के समाधान हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।

43. राजगढ़–अलवर में LC–142 पर आरयूबी के स्थान पर आरओबी व श्रीडूंगरगढ़–बीकानेर में नारसीसर से कुचौर रास्ते में आरयूबी का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, चूरू में सिद्धमुख–चागड़ा व भौजान–हमीरवास में आरयूबी निर्माण हेतु डीपीआर बनायी जायेगी। इसके अतिरिक्त, काठूवास (नीमराणा)–अलवर में फुट ओवरब्रिज व बयाना–भरतपुर में अंडर पास का निर्माण करवाया जायेगा।

44. गांधीनगर–जयपुर स्थित ओल्ड ट्रांजिट हॉस्टल कैम्पस के पुराने 40 क्वाटर्स को dismantle कर प्रथम श्रेणी के 32 बहुमंजिला आवासों का निर्माण किया जायेगा। इस पर 44 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

45. सालम सागर तालाब (पोकरण)–जैसलमेर का सौन्दर्यीकरण व विकास कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, अजमेर में आनासागर स्कैप चैनल की पुलिया का निर्माण करवाया जायेगा।

46. अंता–बारां में बाढ़ बचाव परियोजना के द्वितीय चरण में खाड़ी का चौड़ाईकरण, सौन्दर्यीकरण मय पुलिया, प्रोटेक्शन वॉल सहित कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, बारां–अटरू शहर में भी बाढ़ बचाव परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

पेयजल एवं भूजल :

47. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय विधायकगण, प्रदेश के सरपंच साथियों के साथ–साथ ग्रामीण अंचल के आमजन ने समय–समय पर जनता जल योजना से सम्बन्धित समस्याओं से अवगत कराया है। पंचायतों को इस योजना के अंतर्गत पेयजल Schemes चलाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी के साथ ही Technical Manpower के उपलब्ध नहीं होने के कारण भी समस्या आती है। अतः **जनता जल योजना** के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन की दृष्टि से इन योजनाओं को PHED विभाग को दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

48. जयपुर शहर में चारदीवारी एवं अन्य क्षेत्रों में जर्जर पाईप लाईन तथा उपभोक्ता जल कनेक्शन बदलने व संवर्द्धन कार्यों हेतु लगभग 283 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, जयपुर के हवामहल के नजदीक स्थित नालों को ढकने के कार्य हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।

49. हमेरा बांध–चित्तौड़गढ़ से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 16 करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाये जायेंगे।

50. बगड़ी (सोजत)–पाली में कनिष्ठ अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय तथा मालाखेड़ा–अलवर, आंधी (जमवारामगढ़)–

जयपुर, गंगरार–चित्तौड़गढ़ व लोसल (धोद)–सीकर में सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय खोले जायेंगे।

ऊर्जा:

51. हमारे द्वारा पवन एवं सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए लायी गई नीतियों की सर्वत्र सराहना हुई है तथा इस कारण प्रदेश Renewal Energy के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान रखता है। Renewal Energy के माध्यम से प्रदेश के विकास को अधिक गति मिल सके, इस दृष्टि से इन नीतियों के अंतर्गत भविष्य में निवेशकों द्वारा Power उत्पादन का एक हिस्सा प्रदेश को ही मिले, इस हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

52. ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु–

I. मनियां (राजाखेड़ा)–धौलपुर में 220 केवी सब स्टेशन की स्थापना की जायेगी।

II. सोला–सीकर एवं जावाल–सिरोही में 132 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

III. माजरा ढाकोडा (बानसूर)–अलवर, डण्ड (खाजूवाला)–बीकानेर, कोनरा (चौहटन)–बाड़मेर, अमरगढ़ (माण्डल)–भीलवाड़ा, रामसिंहपुर पालकी, तेस्की (नगर)– भरतपुर, तांबाखेड़ी, कालरी (तारानगर)–चूरू, कुण्डेरा (सिकराय)–दौसा, कहारी (आसपुर)–डूंगरपुर, सिलासन (रानीवाड़ा)–जालोर एवं भोजासर, श्यामपुरा नूआ (मंडावा)–झुंझुनूं में 33 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

IV. चिकानी–अलवर, दावेड़ा (आसपुर), पाल देवल–डूंगरपुर व बागोर (मांडल)–भीलवाड़ा, रामगढ़ पचवारा (लालसोट), बैजूपाड़ा–दौसा, रामगढ़ (रामगढ़–शेखावाटी)–सीकर, केलादेवी –करौली में सहायक अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, वैर–भरतपुर, जमवारामगढ़–जयपुर, सिकराय–दौसा व बौंली (बामनवास)–सवाई माधोपुर में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जायेंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

53. पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों जैसे–मीरा स्मारक (राव दूदागढ़), मेड़ता–नागौर, मूसी महारानी की छतरी व नीलकंठ–अलवर, अजीत विवेक म्यूजियम, खेतड़ी–झुंझुनूं, राजकीय संग्रहालय–भरतपुर, मोलेला (खमनोर) –राजसमंद आदि को विकसित किया जायेगा। इस पर 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, चूरू के किले के जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की घोषणा करता हूँ।

54. जोगेश्वर धाम (नावां)–नागौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। साथ ही, गोठ मांगलोद (जायल)–नागौर व सुईया धाम (चौहटन)–बाड़मेर में पर्यटन विकास एवं जीर्णोद्धार कार्य करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, जोधपुरिया (निवाई)–टोंक में श्रीदेवनारायण पेनोरमा बनाया जायेगा।

55. धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से मंदिरों, मस्जिदों, दरगाह, गुरूद्वारे, चर्च तथा अन्य धर्मों के स्थलों का सर्वे कराकर चयन करते हुए आधारभूत संरचना के कार्य करवाये जायेंगे। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं की

सुविधा हेतु जयपुर के आराध्य श्री गोविन्द देवजी मंदिर के पहुंच मार्गों का जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। साथ ही, जयपुर के गलता गेट के समीप स्थित ईदगाह क्षेत्र के मार्गों का जीर्णोद्धार एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। इन समस्त कार्यों के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

56. हमारे द्वारा वर्ष 2013 में **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना** शुरू की गयी थी। वर्ष 2021–22 के बजट में इस योजना के अंतर्गत 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा कराये जाने की घोषणा की गयी थी, परन्तु कोविड–19 के प्रतिबंधों के चलते पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ नहीं ले पाये। आगामी वर्ष में इस प्रकार तीर्थ यात्रा योजना से बढ़ी हुई संख्या में वृद्धजन को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना पर 30 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।

57. कोविड–19 महामारी से प्रभावित राज्य के पर्यटन उद्योग को सहायता देने के उद्देश्य से कोविड–19 की दूसरी लहर में जिस अवधि में पर्यटन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थीं, उस अवधि में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान को देय किराया/मासिक लाईसेंस फीस में पूर्ण छूट दिए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, उक्त प्रतिबंध समाप्त होने की दिनांक से 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि में पर्यटकों की आवक में हुई कमी के आधार पर देय किराया/मासिक लाईसेंस फीस में आनुपातिक छूट दिया जाना भी प्रस्तावित है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र :

58. प्रदेश में बोरवट–बांसवाड़ा, बारां, फूलियाकलां (शाहपुरा)–भीलवाड़ा, भरतपुर, नगर–भरतपुर, बस्सी–चित्तौड़गढ़, बहरावण्डा (सिकराय)–दौसा तथा बरावण्डा खुर्द (खण्डार)–सवाई माधोपुर में **कृषि महाविद्यालय** खोले जायेंगे।

59. रौतहडिया (महवा)–दौसा में कृषि उपज मण्डी विकसित की जायेगी।

60. ग्रामीण एवं किसान भाइयों की सुविधा हेतु मैं, चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायतों पर **'पंचायत मिनी सचिवालय'** स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ। जिससे सम्बन्धित विभागों–राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक ही छत के नीचे लाकर सुविधा एवं सेवायें उपलब्ध करायी जा सकेंगी। प्रथमतः ये कार्य उन ग्राम पंचायतों पर हाथ में लिए जायेंगे, जहां माननीय सदस्यगण अपने MLA LAD Fund से 20 लाख रुपये स्वीकृत करेंगे। ऐसे स्थानों के लिए शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

61. साथ ही, पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से Contractual Service Rules के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 50 हजार पद सृजित करते हुए पंचायत Cadre का गठन भी किए जाने की घोषणा करता हूँ।

62. गैर अधिसूचित (Non-Notified) कृषि जिन्सों एवं खाद्य पदार्थों पर मंडी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर मात्र 0.50 प्रतिशत यूजर चार्जेज लगाया गया था। मुझे इस यूजर चार्जेज की राशि को कम करने के सम्बन्ध में विभिन्न मंडियों के व्यापारियों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

अतः इस यूजर चार्जेज को 0.50 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

63. राज्य में काश्तकारों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थाई लगान (भू–राजस्व) को (खरीफ संवत 2075) वित्तीय वर्ष 2018–19 से माफ किया जा चुका है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2018–19 से पूर्व का भी बकाया स्थाई लगान समाप्त किए जाने की घोषणा करता हूँ।

64. नयावास ढाणी ग्राम बिठोली के पास (बामनवास)–सवाई माधोपुर व अनास नदी पर गराडिया (गांगडतलाई)–बांसवाड़ा में एनिकट निर्माण करवाये जायेंगे। साथ ही, किशनगंज–बारा में हथवारी–खिरिया लघु सिंचाई परियोजना तथा चिंडालिया एनिकट की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, तामडिया (चाकसू), अजमेरीपुरा (कोटखावदा)–जयपुर व रिस्का की नाल (चौरासी)–डूंगरपुर के एनिकट निर्माण की डीपीआर बनायी जायेगी।

65. डोराई बांध–चित्तौड़गढ़ की नहरों/माईनर एवं एलएमसी/स्लूस के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जायेगा। साथ ही, माछली बांध (नैनवा)–बूंदी की ऊंचाई बढ़ायी जानी प्रस्तावित है।

66. राज्य में चरागाह भूमि के समुचित विकास एवं संरक्षण के लिए **'गोचर भूमि विकास बोर्ड'** का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

67. प्रदेश में उत्तम नस्ल के गौवंश की वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में अनुदानित दर पर Sex Sorted Semen का उपयोग करते हुए 40 लाख Artificial Insemination कराये जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

68. 23 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को देय अनुदान राशि 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने का सर्वत्र स्वागत किया गया। किन्तु मेरी जानकारी में आया है कि कुछ डेयरी संघों ने दूध की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस बाबत RCDF को पाबंद किया जायेगा कि Milk Unions को निर्देशित कर दूध की दर नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करे तथा जहां पर बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई है, वहां इस बढ़ोतरी को withdraw किया जाये।

69. बारां में जिला दुग्ध संघ बनाये जाने के साथ ही Milk Processing Plant की स्थापना भी की जायेगी।

70. प्रदेश की दुधारू देशी नस्लों के गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर, जयपुर एवं उदयपुर स्थित राजकीय वेटरनरी कॉलेजों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी (ETT) प्रयोगशालायें स्थापित करते हुए संभागीय मुख्यालयों सहित जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)–पाली के पशु चिकित्सालयों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

71. मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, खारे पानी में झींगा उत्पादन एवं निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए चूरू में मत्स्य विभाग का कार्यालय खोला जायेगा।

72. वर्तमान में पशु–पक्षियों में बर्ड फ्लू आदि रोगों के Diagnosis व Confirmation हेतु भोपाल (मध्यप्रदेश) स्थित हाई सिक्योरिटी लेब में सेम्पल भेजे जाते हैं। प्रदेश में भी इस प्रकार की लेब की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर में आधुनिक बायो सिक्योरिटी लेब–3 (BSL-3) की स्थापना की जायेगी।

73. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए–

I. भरतपुर व कोटपूतली–जयपुर में **पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय** खोले जायेंगे।

II. राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, नवलगढ़–झुंझुनूं को **बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत** किया जायेगा।

III. हरसोली (किशनगढ़बास)–अलवर, मतोडा (लोहावट)–जोधपुर एवं ईडवा (डेगाना)–नागौर के पशु चिकित्सालय **प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत** किए जायेंगे।

IV. पाडा (रैणी)–अलवर, फतेहगढ़ सल्ला–अजमेर, रामनगर–बूंदी व रिवाली, डाबर (बामनवास)–सवाई माधोपुर के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों को **पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत** किया जायेगा। साथ ही, नूरे की भुर्ज (फलौदी)–जोधपुर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा।

V. मिलकपुर (रामगढ़)–अलवर, रोलिया (कपासन), गोवलिया (बेगूं)–चित्तौड़गढ़, कूपली, 30 ऐपीडी (रायसिंहनगर)–श्रीगंगानगर, हिंगोली (भोपालगढ़), मयाकोरिया (फलौदी), शेख नगर (बिलाड़ा)–जोधपुर व बरोल, कड़ीला (मालपुरा)–टोंक में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

गृह :

74. प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु–

I. मेरे द्वारा 3 मार्च, 2022 को प्रदेश के नगर पालिका मुख्यालयों पर स्थित शेष रहे 42 SI स्तर के पुलिस थानों को CI स्तर के थानों में

क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं, प्रदेश में समस्त पुलिस थानों को CI स्तर का बनाने की दृष्टि से, शेष रहे उप निरीक्षक (SI) स्तर के 473 पुलिस थानों को निरीक्षक (CI) स्तर के थानों में क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूँ।

II. गत बजट में मैंने प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु सहायक उप निरीक्षक के पदों को, कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से, बढ़ाकर 10 हजार किये जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब मैं, कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से 2 हजार और सहायक उप निरीक्षक (ASI) के पद और बढ़ाया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

III. पुलिस थानों में महिलाओं की उपस्थिति (Presence) और अधिक बढ़ाने के दृष्टिगत महिला ASI का Cadre गठित कर इनमें से **एक हजार** पद महिला ASI के लिए निर्धारित किए जाने की घोषणा करता हूँ।

IV. मेरे द्वारा 23 फरवरी, 2022 को बजट प्रस्तुत करते समय 10 हजार होम गार्ड्स को राजकीय कार्यालयों में logistical कार्यों हेतु लिए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में, आगामी वर्ष में लगभग 2 हजार अतिरिक्त होमगार्ड जवानों को कानून, यातायात व्यवस्था व अन्य कार्यों के लिए तैनात किया जायेगा।

V. सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु विशेषकर महिलाओं के लिए राज्य में संचालित यात्री वाहनों (बस, टैक्सी) व एम्बुलेंस में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस एवं पैनिक बटन की व्यवस्था शुरू करते हुए कमांड कण्ट्रोल सेंटर स्थापित किया जायेगा।

75. प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु–

I. रणजीतपुरा (कोलायत)–बीकानेर, कसारवाड़ी (कुशलगढ़)–बांसवाड़ा व बाघपुरा (झाडोल)–उदयपुर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा।

II. पापड़दा (सिकराय), बैजूपाड़ा–दौसा, विवेक विहार (लूणी)–जोधपुर व घाटोल–बांसवाड़ा में पुलिस थाने खोले जायेंगे।

III. खुमानपुरा (माण्डल)–भीलवाड़ा, सथूर, दुगारी (हिण्डोली)–बूंदी, बिजौली (बाड़ी)–धौलपुर, केशरियाबाद (धरियावद)–प्रतापगढ़ व पाणुन्द (वल्लभनगर)–उदयपुर में नवीन पुलिस चौकी खोली जायेगी।

76. प्रदेश की लगभग 25 Central/District Jails घनी आबादी के मध्य स्थित हैं, जिससे जहां एक ओर ऐसी जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, वहीं दूसरी ओर स्थान की कमी के कारण बंदियों को समुचित सुविधायें नहीं मिल पाती। ऐसी जेलों को घनी आबादी से पृथक खुली जगहों पर स्थानान्तरित करने के लिए सभी 25 जेलों के लिए DPR बनायी जानी प्रस्तावित है। साथ ही, इन जगहों का वैकल्पिक उपयोग भी DPR के माध्यम से तय किया जा सकेगा।

77. आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए–

I. भरतपुर में **वाणिज्यिक न्यायालय** खोला जायेगा।

II. सीमलवाड़ा–डूंगरपुर व जायल–नागौर में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय के कैम्प कोर्ट खोले जायेंगे।

III. अपर जिला एवं सैशन न्यायालय कोर्ट कैम्प कुशलगढ़–बांसवाड़ा को स्थायी किया जायेगा।

IV. आहोर–जालोर में **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय** खोला जायेगा।

सुशासनः

78. हमारे द्वारा विभिन्न विभागों की सेवायें आमजन को प्रदेश के कोने–कोने में मिल सकें, इसके लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर प्रदेश के दूरस्थ हिस्से में भी चिकित्सा एवं शिक्षा की समुचित सुविधा प्राप्त हो सके, यह आम आदमी का हक है, ऐसा मेरा मानना है। इस दृष्टि से आगामी वर्ष सभी लगभग 3 हजार 500 चिकित्सा संस्थानों तथा लगभग 70 हजार राजकीय विद्यालयों में repair एवं maintenance सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही, समस्त चिकित्सा संस्थानों में **'सुलभ संस्था'** के माध्यम से शौचालयों का रख–रखाव किया जाना भी प्रस्तावित है। इन कार्यों को करने के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

79. ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग सदस्य ही हैं, वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहें उनके लिए मैं, **'मुख्यमंत्री–हमारी जिम्मेदारी योजना'** प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत यदि ऐसा चिन्हित परिवार Toll Free CM Helpline-181 पर फोन मात्र कर देगा, तो हमारा **'सेवा प्रेरक' (Service Facilitator)** घर जाकर राशन हेतु नाम जुड़वाना, जाति, मूल निवास प्रमाणपत्र, पेंशन, पालनहार सहित विभिन्न योजनाओं का पात्रता होने पर लाभ स्वीकृत करवाया जाना सुनिश्चित करेगा।

80. साथ ही, राज्य सरकार की योजनाओं से कोई परिवार वंचित ना रहे, इस हेतु योजनाओं के प्रचार–प्रसार एवं इनकी जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करने के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। इसमें ग्रामवासियों एवं लाभार्थियों से संवाद कर नुक्कड नाटक, सामग्री वितरण व प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

81. आमजन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी समुचित सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इस दृष्टि से मेरे द्वारा पत्रकारों हेतु पेंशन तथा निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान किया गया था। इसी कड़ी में अब मैं, आगामी वर्ष से राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकार साथियों के बच्चों के लिए **Pre-Matric एवं Post-Matric छात्रवृत्ति** प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ।

82. विभिन्न विभागों में भामाशाह/ट्रस्ट/सोसायटी/NGOs द्वारा सहभागिता से करवाये जाने वाले जन उपयोगी कार्यों, जिनमें ऐसी संस्था की सहभागिता 50 प्रतिशत अथवा अधिक है, के क्रियान्वयन उनके द्वारा ही करवाने हेतु RTPP नियम, 2013 में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा।

83. वर्तमान समय में विभिन्न आर्थिक अपराधों यथा–भूमि पर कब्जा, Real Estate, बैंक, बीमा, जमापूंजी धोखाधड़ी, झूठे दिवालियापन, मनी लॉन्ड्रिंग तथा फर्जी कम्पनियों के गठन आदि के कारण आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठता है। कुछ समय से Cooperative Credit Societies scams जैसी घटनायें बढ़ी हैं और आम आदमी को धोखाधड़ी का

शिकार होना पड़ा। मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि वे इनकी ठगी का शिकार न बनें। जन सामान्य को त्वरित कार्यवाही के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाया जा सके, इस हेतु मैं, वित्त विभाग के अधीन **'Directorate of Economic Offences'** बनाये जाने की घोषणा करता हूँ।

84. जयपुर शहर में गृह निर्माण समितियों द्वारा अनाधिकृत पट्टे दिए जाने की समस्या लगातार बनी हुई है। इससे जहां एक ओर शहर के सुनियोजित विकास में बाधा आती है, वहीं आमजन के धोखाधड़ी के शिकार होने की भी आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए Rajasthan Societies Registration Act,2001 में यथोचित संशोधन करते हुए प्रभावी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

85. प्रदेश की नवसृजित 57 पंचायत समिति मुख्यालयों पर आमजन की सुविधा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए CBEO, CDPO व BCMHO कार्यालय भी खोले जायेंगे।

86. प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु–

I. नवलगढ़–झुंझुनूं में मिनी सचिवालय की डीपीआर बनायी जायेगी।

II. बाली–पाली में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोला जायेगा।

III. मूंडवा–नागौर, नयागांव (खैरवाड़ा)–उदयपुर, मौजमाबाद–जयपुर व सैंथल–दौसा में उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे।

IV. नाथद्वारा–राजसमंद में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (AC&EM) कार्यालय खोला जायेगा।

V. सीकर व धोद तहसीलों का पुनर्गठन कर नई तहसील सीकर (ग्रामीण) बनायी जायेगी।

VI. पाल देवल–डूंगरपुर व झंवर (लूणी)–जोधपुर में तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

VII. हदां (कोलायत)–बीकानेर, खोह (नगर)–भरतपुर, पोटला (सहाड़ा)–भीलवाड़ा, साखून (दूदू), दहलाला–जयपुर तथा मारोठ (नावां)–नागौर में उप तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

VIII. बड़ौदा मेव–अलवर व अजीतगढ़–सीकर को नगर पालिका बनाया जायेगा।

IX. भनोखर (कठूमर), साहडोली–अलवर, मंडावर–दौसा व सीकरी (नगर)–भरतपुर को पंचायत समिति बनाया जायेगा

X. नावां–नागौर में टाउन हाल का निर्माण किया जायेगा।

XI. कठूमर, रामगढ़–अलवर, सुजानगढ़–चूरू, सुल्तानपुर–कोटा व जायल–नागौर में अधिशाषी अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) कार्यालय खोले जायेंगे।

XII. सलूम्बर–उदयपुर में जिला परिवहन कार्यालय खोला जायेगा।

87. राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति सम्बन्धी समस्या दूर करने के लिए –

I. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा Annual Performance Appraisal Report (APAR) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किये जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली अपनायी जायेगी।

II. आवश्यकता होने पर वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की जा सकेगी।

III. विभागीय स्तर पर ही DPC की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

88. Placement Agency (ठेका प्रथा) के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगे हुए कर्मियों की मांग को देखते हुए उन्हें भी नियमित भर्तियों में अन्य संविदा कर्मियों के अनुरूप 10/20/30 Bonus Marks देने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

89. हमारी सरकार वृद्धजन, राजकीय पेंशनर्स एवं उनके परिवार के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान में RGHS के अंतर्गत कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु पेंशनर के परिवार में spouse एवं विकलांग पुत्र–पुत्री ही सम्मिलित हैं। मैं, पेंशनरों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारियों के परिवार में पात्र सदस्यों की भांति पेंशनर के परिवार के आश्रित (Dependent) सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। इस पर सालाना लगभग 157 करोड़ रुपये का वित्तीय भार संभावित है।

90. प्रदेश के विभिन्न बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं जैसे–RSMM, RTDC, तिलम संघ, विद्युत कम्पनियों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्मिकों द्वारा मेरे समक्ष पेंशन ना मिलने अथवा पेंशन के विकल्प सम्बन्धी समस्या लायी गई है। ऐसी राजकीय संस्थाओं में पेंशन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से परीक्षण कराकर समुचित निर्णय किया जाना प्रस्तावित है।

91. राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि में ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त/अयोग्य (Disabled) होने एवं साथ ही उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लिए जाने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

92. प्रदेश के नगरीय निकायों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के चुकारे हेतु चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में निकाय की निजी आय को समायोजित करते हुए गैप फंडिंग के आधार पर एकबारीय अनुदान उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

93. आगामी वर्ष से परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक को **2 लाख रुपये**, अति विशिष्ट सेवा मेडल धारक को **एक लाख रुपये,** विशिष्ट सेवा मेडल धारक को **75 हजार रुपये,** सेना मेडल धारक को **50 हजार रुपये** तथा मेंशन इन–डिस्पेच धारकों को **25 हजार रुपये** की सम्मान राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

94. मैंने दिनांक 23 फरवरी, 2022 को वर्ष 2022–23 का बजट माननीय सदन में प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात् नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी वर्ष (1 अप्रेल, 2022) से पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। मैं, माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी, 2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों की NPS (National

Pension Scheme) सम्बन्धी समस्याओं तथा इनके समाधान हेतु OPS लागू करने के औचित्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा–

I. जैसा कि विदित है, पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसम्बर, 2003 में NDA की केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी, 2004 से NPS लागू की गयी थी।

II. इस प्रकार लागू की गयी नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर insecurity का भाव पैदा हो गया।

III. वर्तमान में NPS के अंतर्गत 5 लाख 22 हजार 962 कार्मिक कार्यरत हैं। अभी तक 2 हजार 146 कार्मिक NPS से Exit (Retire) हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाममात्र की ही पेंशन राशि मिल रही है।

IV. NPS के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केन्द्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु वर्ष 2021 में आग्रह किया गया है।

V. साथ ही, CAG की रिपोर्ट संख्या–13, वर्ष 2020 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाये गये हैं, इनमें प्रमुख बिन्दु हैं–

a. NPS के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

b. इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकिक मूल्यांकन (Actuarial Evaluation) किया गया है तथा न ही फण्ड की व्यवहारिकता (Viability) के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है।

c. इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100 प्रतिशत कवर किया गया है।

VI. जल, थल और वायु सेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना इन कार्मिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसी ही सेवायें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि के कार्मिक भी करते हैं, उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में दो अलग–अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है।

VII. ध्यान देने लायक बिन्दु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने भी 6 फरवरी, 2020 को दी गई रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए OPS (Old Pension Scheme) लागू करने की अभिशंषा की है।

VIII. जो कार्मिक अपने जीवन के लगभग 35 वर्ष सरकारी/जन सेवा को समर्पित करता है, उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसके रिटायर होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की पूर्ण गारंटी मिले।

यहां यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने पर ही कार्मिक अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा तथा एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि OPS का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रूझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी।

IX. पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में यह कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास एवं जनकल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहां यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी, तो उस समय भी प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई एवं पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण विकास एवं जनकल्याण के कार्यों में कटौती नहीं प्रस्तावित की गई है।

मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरान्त हमारे कुछ साथियों में 1 अप्रेल, 2022 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं, 1 जनवरी, 2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को 1 अप्रेल, 2022 को देय वेतन (March Paid in April) से समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, कार्मिकों से पूर्व में की जा चुकी कटौती को, उसमें से पेंशनर मेडिकल फंड (RGHS Fund) की राशि समायोजित कर शेष राशि उनके Retirement के समय GPF पर देय interest rate के साथ एकमुश्त लौटाया जाना भी प्रस्तावित करता हूँ। 1 अप्रेल, 2022 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रतिमाह 10 प्रतिशत कटौती बंद होने से अप्रेल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। यह वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी

की वरिष्ठता के आधार पर मासिक 2 हजार 300 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये से भी अधिक तक होगी।

हमारे सभी कार्मिकों को OPS के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात् मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है तथा कई अन्य राज्य भी इस सम्बन्ध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ–साथ केन्द्रीय (Central) एवं अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के कार्मिकों को भी रिटायरमेंट पश्चात् आर्थिक सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वह भी Old Pension Scheme (OPS) लागू करने की घोषणा करें।

–: जय हिन्द :–